कार्यालय पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर।

पत्र संख्याःन–76/2023 दिनांकःसितम्बर 20 ,2023

अल्पकालिक निविदा सूचना

जनपद अम्बेडकरनगर की पुलिस लाइन के आवासीय भवनों के पूरब तरफ स्थित तालाब (लम्बाई 100 मीटर, चौडाई 50 मीटर तथा गहराई 03 मीटर) की नीलामी पूर्व में की गयी थी जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। उक्त तालाब की नीलामी हेतु निविदा के माध्यम से कराये जाने के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म निविदा आमंत्रण की तिथि के पश्चात किसी भी कार्य दिवस में पुलिस कार्यालय अम्बेडकरनगर में प्रातः 10:00 बजे से 17:00 बजे के मध्य निर्धारित शुल्क रुपया 100/– जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म प्राप्त करने के पश्चात आवेदन पत्र के साथ अपना स्थायी एवं अस्थायी पता/मोबाइल नम्बर आदि के साथ पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स/ पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र अथवा इसी रुप में स्वीकार किये जाने योग्य स्थायी दस्तावेजो की स्वप्रमाणित प्रति के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। यदि दस्तावेजो के सत्यापन में अथवा भविष्य में कभी भी कोई दस्तावेज अथवा अन्य कोई तथ्य असत्य पाया गया तो फर्म/व्यक्ति/ठेकेदारा की अर्नेस्ट मनी तत्काल जब्त करते हुये स्वीकृत निविदा भी निरस्त कर दी जायेगी एवं सम्बन्धित के विरुद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। प्रत्येक निविदा के साथ रुपया–3000/–(रुपया तीन हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी के रुप में जमा करना अनिवार्य होगा।

2– निविदा सील बन्द लिफाफे में पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर के कार्यालय में दिनांक 26.09.2023 को मध्यान्ह 12:00 बजे तक पहुँच जानी चाहिये। निविदा उसी तिथि को ही मेरे द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जायेगी।

3– अधिकतम निविदा प्राप्त होने वाली फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार के पक्ष में ही निविदा स्वीकार की जायेगी।

4– निविदा जिस फर्म/व्यक्ति /ठेकेदार के पक्ष में स्वीकार होगी उसको सूचना मिलने के 02 दिवस के अन्दर नान ज्यूडिसियल स्टैम्प पर अनुबन्ध करना होगा जिसमें उल्लिखित प्रतिबन्धों को मानने के लिये वह बाध्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार को 07 दिवस के अन्दर रुपया–5000/– जमानत राशि के रुप मे आंकिक, पुलिस कार्यालय अम्बेडकरनगर के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

इच्छक फर्म/व्यक्ति/ठेकेदार टेण्डर के समय उपस्थित रहेगे, जो ठेकेदार टेण्डर के समय/टेण्डर खोलते समय उपस्थित नही रहेंगे उनकी अर्नेस्ट मनी राजकीय कोष में जमा कर दी जायेगी।

पुलिस अधीक्षक
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर।
2– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0 विभाग अम्बेडकरनगर।
3– नजारत जिलाधिकारी जनपद अम्बेडकरनगर।
4– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र (अयोध्या,बाराबंकी,अमेठी, सुल्तानपुर)।
5– क्षेत्राधिकारी कार्यालय, जनपद अम्बेडकरनगर।
6– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) जनपद अम्बेडकरनगर को नेट पर प्रसारण हेतु।
7– दफ्तरी, पुलिस कार्यालय, को नोटिस की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8– प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स अम्बेडकरनगर।
9– प्रधान लिपिक/आंकिक पुलिस कार्यालय अम्बेडकरनगर।
10– प्रभारी सोशल मीडिया सेल अम्बेडकरनगर को फेसबुक ट्विटर इत्यादि पर डालने हेतु।
11– मे0 अंश इण्टर प्राइजेज, चौबे का पूरा, बड़ा गॉव जलालपुर, अम्बेडकरनगर।
12– मूलचन्द्र मिश्रा, उत्तर टोला बंकी, जनपद बाराबंकी।
13– मो0 आरिफ खान, मो0 कस्बा टाण्डा, अम्बेडकरनगर।
14– सुरेश कुमार गुप्ता, निवासी–1206 दिल्ली दरवाजा, जनपद अयोध्या।
15– ठेकेदार मो0 नईम, नेशनल टाकीज रोड, खैराबाद, जनपद सुल्तानपुर।
16– ठेकेदार नरेश कुमार गुप्ता, 240 अंगूरीबाग कालोनी, अयोध्या।
17– श्री विश्वनाथ गौड़ पुत्र श्री भागीरथ ग्राम मंसूरपुर कुर्मियान, थाना मालीपुर अम्बेडकरनगर